8. शर्त संख्या 2 से संदर्भित टर्मिनल मैनहोल ऊपर से ढके, ताले लगाने की व्यवस्था युक्त से कम Mx15 साइज और आवश्यक गहराई के ईट या सीमेण्ट कंक्रीट के चेम्बर होने चाहिए टर्मिनल मैनहोल में उत्प्रवाह नापने तथा विश्लेषण के लिए नमूना लेने की व्यवस्था उपलब्ध होनी चाहिए।

9. शुद्धिकृत घरेलू व औद्योगिक उत्प्रवाह मिलाकर (उपरोक्त शर्त संख्या 2 के प्रावधानों के अनुसार) एक ही निस्तारण बिन्दु से निस्तारण किया जाये। इस संयुक्त उत्प्रवाह निस्तारण बिन्दु पर उत्प्रवाह मापने की कुछ व्यवस्था होनी चाहिए।

10. शुद्धिकृत घरेलू व औद्योगिक उत्प्रवाह शर्त संख्या 9 में वर्णित संयुक्त से अन्तिम निस्तारण बिन्दु ...................................... में पक्के, ढके हुए बन्द पाइप युक्त ड्रेन से होकर निस्तारित किया जाए।

पक्के ड्रेन या बन्द पाइप को इस प्रकार बिछाना चाहिए जिससे कि अनाधिकृत व्यक्तियों द्वारा उसमें नुकसान न पहुँचाया जाए। टर्मिनल निस्तारण बिन्दु को भी टर्मिनल मैनहोल की भाँति बनाया जाये। बन्द पाइपों में स्थल की आवश्यकता के अनुसार माध्यमिक निरीक्षण कक्ष बनवाये जायें।

11. इन शर्तों का विशेष रूप से उत्प्रवाह शुद्धिकरण, उत्प्रवाह, मापन नमूना एकत्र करने की व्यवस्था, टर्मिनल मैनहोल व टर्मिनल निस्तारण बिन्दु के सम्बन्ध में दि0 .......................................... या उससे पहले पूर्ण अनुपालन किया जाये।

12. बोर्ड से निर्गत सहमति आदेश की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर तथा उसके बाद प्रत्येक महीने की दस तारीख तक मासिक प्रगति आख्या सहमति शर्तों की अनुपालन आख्या के साथ जरूर भेजें।

13. विस्तृत निर्माण स्थल रेखाचित्र उत्प्रवाह ले जाने वाली पाइप लाइन की अनुदैर्ध्य काट व प्लानट तथा शर्त 8, 9 व 10 में वर्णित अन्तिम निस्तारण बिन्दु का स्थल रेखाचित्र इस सहमति आदेश के जारी करने के एक माह के भीतर बोर्ड को भेजें।

14. परिसर में एकत्र होने वाले बरसात/तूफान के जल को भली-भाँति रखा जाये और किसी भी बिन्दु पर घरेलू व औद्योगिक अवशिष्ट से मिलने न दिया जाये। कच्चे माल उत्पादन या अन्य कोई पदार्थ जो तूफानी जल के साथ बहकर जा सकते हों, को खुले में ढेर न लगाया जाये।

15. फैक्ट्री परिसर में उत्पन्न होने वाले सभी ठोस अवशिष्ट पदार्थो का भली-भाँति वर्गीकरण व निम्न प्रकार से निस्तारण किया जाये।

(1) अक्रिय पदार्थ होने पर उसका भूमि भराव के लिए इस प्रकार प्रयोग सुनिश्चित किया जाये कि रिसाव की स्थिति पैदा न हो जिससे कि वह भूमिगत जल में प्रवेश न करे या बरसाती, तूफानी जल के द्वारा बहा न दिया जाये।

(2) ज्वलनशील कार्बनिक पदार्थ होने पर "नियन्त्रित प्रज्जवलन" किया जाये।

(3) जैविक अवघट्य पदार्थ होने पर कम्पोस्टिंग की जाये।

16. विषैले पदार्थ का विषैलापन अगर सम्भव हो सके तो दूर किया जाये अन्यथा उन्हें बोर्ड की लिखित अनुमति प्राप्त कर सुरक्षित क्षेत्रों में मुहरबन्द स्टील ड्रम में रखा और दफनाया जाये। विषमुक्त करने या मुहरबन्द करने और दफनाने का कार्य बोर्ड के अधिकृत व्यक्ति की उपस्थिति में ही अनुमति लेकर किया जाये।

17. यदि फैक्ट्री के किसी सयंत्रों/सयंत्र में कोई दोष पूर्ण स्थिति उत्पन्न हो सके जिसके फलस्वरूप निस्तारित की मात्रा बढ़ जाये और/या उपरोक्त पैरा 3 व 4 में वर्णित मानकों का उल्लंघन हो तो बोर्ड की टेलीग्राफिकली तथा आंचलिक स्वास्थ्य अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधिकारी को स्थिति बताते हुए सूचित किया जाये।

18. प्रार्थी फैक्ट्री के अन्दर व परिसर में अच्छा रखरखाव स्थापित करे सभी पाइप वाल्व, सीवर और ड्रेन रिसावरोधी होने चाहिए। फर्श की धुलाई से जनित उत्प्रवाह, उत्प्रवाह एकत्र करने की व्यवस्था में प्रवेश करना चाहिए और शर्त के अनुसार किसी बरसाती/तूफानी जल को नाली या खुले स्थान पर नहीं जाने दिया जाना चाहिए।